न्यायालय, अपर समाहर्ता, मधुबनी।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी ..

संख्या.–. 16 / 19–20

केश का प्रकार :

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा– 9 के अंतर्गत जमाबंदी सुधार वाद

अर्जीकारः–सरकार

प्रतिपक्षी– (मसोमात–सुमित्रा देवी–मृत) रामचन्द्र मिश्र वगैरह

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
27.11.2019	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, बाबूबरही द्वारा अग्रसारित अभिलेख संख्या–1/2019 जमाबंदी सुधार वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ करते हुये जमाबंदीदारों को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत की गई। अग्रसारित अभिलेख में भूमि का कोई विवरण अंकित नहीं है। मात्र जमाबंदीदारों का नाम अंकित है, जिसके संबंध में सुनवाई के दौरान बताया गया कि सभी जमाबंदीदार मृत हैं। जमाबंदीदार के वारिशानों में से एक रामचन्द्र मिश्र पे0 स्व0 राम बुझावन मिश्र एवं दूसरा–रमन राजेन्द्र तिवारी पेसर स्व0 रामनन्दन तिवारी, साकिन– पिरही थाना एवं अंचल–बाबूबरही की ओर से वकालतन पक्ष रखते हुये बताया गया कि यह रैयती भूमि का मामला है। **गंगा मिश्र एवं उनके भाई विजय मिश्र वादी एवं अन्य के विरूद्ध दायर बटवारा वाद संख्या–37/07 सब जज प्रथम मधुबनी के न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।** जब माननीय सिविल न्यायालय में पक्षकारों के बीच बटवारा वाद विचाराधीन है, वैसी स्थिति में इस न्यायालय में जमाबंदी सुधार वाद लाने आवश्यकता नहीं थी। पक्षकारों को माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन उक्त मामले में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। इसी ऑबजर्वेशन के साथ उक्त वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। पक्षकारों को आदेश से अवगत कराने हेतु आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बाबूबरही को भेजें। आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं। लेखापित 27.11.19 अपर समाहर्ता, मधुबन अपर समाहर्ता, मधुबनी।	